भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3143

गुरूवार, 19 मार्च, 2026/28 फाल्गुन, 1947 (शक)

श्रम शक्ति नीति 2025

3143. श्री संजय सेठ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रारूप राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति (श्रम शक्ति नीति 2025) के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय इस नीति के संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ सर्वसम्मति बनाने के लिए किस प्रकार योजना बना रहा है;

(ग) संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा आवरण के विस्तार को ई-श्रम जैसी योजनाओं के साथ किस प्रकार एकीकृत किया जा रहा है; और

(घ) इस नीति के तीन चरणों के अंतर्गत कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए कौन-से तंत्र स्थापित किये जाएंगे?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): "श्रम शक्ति नीति 2025 - राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति" के मसौदे को एक विस्तृत विज़न दस्तावेज के रूप में तैयार किया है जिसका उद्देश्य कामगारों, जिनमें महिलाएं, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार और स्व-रोजगार वाले कामगार शामिल हैं, के लिए एक समावेशी, निष्पक्ष और लचीला इकोसिस्टम बनाना है जिससे भारत, वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा।

मसौदा नीति में हरित नौकरियों को बढ़ावा देने, एआई-सक्षम प्रणाली, कम कार्बन उद्योगों में नवाचार और टिकाऊ क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसरों के निर्माण सहित प्रौद्योगिकी आधारित विकास और हरित परिवर्तन मार्गों के माध्यम से रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है।

इस मसौदा नीति में एक समावेशी और अंतर-प्रचालनीय एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सभी कामगारों के लिए (अनौपचारिक क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, प्रवासी कामगारों और स्व-नियोजित लोगों सहित) सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज की दिशा में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी कामगारों को स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, दुर्घटना जीवन बीमा आदि को कवर करते हुए पूर्ण कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो और सभी कामगारों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जाए इसके लिए ईपीएफओ, ईएसआईसी, ई-श्रम और एनसीएस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय डेटाबेस को एक एकीकृत श्रम स्टैक में एकीकृत करना है।

इसके अतिरिक्त, इस मसौदे नीति में सहयोगात्मक संघवाद, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और डिजिटल पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। यह केंद्र, राज्यों और कामगारों के प्रतिनिधियों सहित सामाजिक भागीदारों के बीच समन्वित कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभों को व्यापक और समान रूप से साझा किया जाए।

******